

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन, कृषि भवन, तृतीय तल्ला, कांके रोड, रांची- 834008)

केन्द्र प्रायोजित एम0आई0डी0एच0-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के विभिन्न परियोजना आधारित अवयवों के क्रियान्वयन/स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रण संबंधी सूचना।

झारखण्ड राज्य में एम0आई0डी0एच0-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2026-27 में परियोजना आधारित निम्न कार्य अवयवों के क्रियान्वयन/ स्थापना हेतु राज्य के सभी 24 जिलों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

(I) रोपण सामग्री का उत्पादन:-

क्र०	कार्यक्रम	अधिकतम अनुमान्य लागत	भौतिक लक्ष्य (सं०)	अधिकतम सब्सिडी की राशि
1	छोटी नर्सरी (0.4 से 01 हे०)	रु० 20.00 लाख प्रति एक हे० इकाई	01 इकाई (01 इकाई- निजी क्षेत्र हेतु)	आनुपातिक आधार पर इस परियोजना हेतु निजी क्षेत्र को लागत का अधिकतम 50 फीसदी सहायता देय होगा। प्रत्येक नर्सरी प्रतिवर्ष एक हेक्टेयर में न्यूनतम 25 हजार गुणवत्ता वाले बारहमासी फल/पौधे/रोपण लायक पौधों का उत्पादन। लाभुक को 18 महीने के अन्दर accreditation कराना अनिवार्य होगा। Assistance @ 100% to public sector and @ 50% to private sector for an area from 0.4 to 1 ha as a project based activity, on pro rata basis. In the case of TSP and Scheduled areas, the lower limit of area will be 0.4 ha Each nursery will produce a minimum of 25,000 plants per ha of mandated perennial fruit plants, tree spices, aromatic plants, plantation crops, perennial flowers etc. per year, duly certified for its quality. Accreditation of each small nursery will be mandatory within 18 months from the date of release of last installment.
2	प्रामाणिक प्रतिमानों के अनुरूप बागान के आधारभूत संरचना को उन्नत बनाना (Upgrading nursery infrastructure to meet accreditation norms)	रु० 4.00 लाख प्रति हे० के बागान हेतु (अधिकतम 02 हे०)	01 इकाई (निजी क्षेत्र)	आनुपातिक आधार पर परियोजना हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र को लागत का अधिकतम 50 फीसदी सहायता देय होगा। आधारभूत संरचना में विसंक्रमण, कार्यशाला शेड, (रसदार फलों एवं सेब के लिए) जीवाणु सूचकांक सुविधा, कठोरीकरण कक्ष/जालीदार घर, अंधेरी कोठरी, पौधशाला की स्थापना, सिंचाई एवं निषेचन सुविधा प्रति इकाई। लाभुक को 18 महीने के अन्दर accreditation कराना अनिवार्य होगा। Assistance @ 50% to private sector for a nursery of an area upto 2 ha on pro-rata basis. The infrastructure facilities will include establishment of Hot bed sterilization of media, Working shed, Virus indexing facility (for citrus & apple), Hardening chamber/ net

क्र०	कार्यक्रम	अधिकतम अनुमान्य लागत	भौतिक लक्ष्य (सं०)	अधिकतम सब्सिडी की राशि
				house, Mist chamber, Establishment of Mother Block, Irrigation and Fertigation facility/unit. Accreditation of each upgraded nursery will be mandatory within 18 months from the date of release of last installment.
3	नियंत्रित परिस्थितियों में हाई-टेक प्लग टाइप नर्सरी स्वचालित ट्रे सीडर इकाई के साथ। Hi-tech Plug Type Nursery under controlled conditions with automated tray seeder unit	परियोजना आधारित। 0.2 से 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए @ 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर आनुपातिक आधार पर	02 इकाई (सार्वजनिक क्षेत्र)	इस परियोजना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100% सहायता। प्रत्येक प्लग टाइप की नर्सरी प्रति वर्ष प्रति 100 वर्ग मीटर अनिवार्य फसलों के न्यूनतम 80000 प्लग (प्रत्येक 20,000 प्लग के 4 चक्र) का उत्पादन करेगी। Assistance @ 100% to public sector as project based activity. Each Plug type nursery will produce a minimum of 80000 plugs (4 cycles of 20,000 plugs each) of mandated crops per 100 Sq.m. per year

(II) मशरूम इकाई:-

क्र०	कार्य अवयव	अधिकतम अनुमान्य लागत	भौतिक लक्ष्य (सं०)	अधिकतम सब्सिडी की राशि
1	उत्पादन इकाई (Production unit)	रु० 30.00 लाख प्रति इकाई	03 इकाई (निजी क्षेत्र हेतु)	बुनियादी ढांचे पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को लागत का 40% क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। TSP and Scheduled area के लिए सहायता 50% क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। 100% of the cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy upto a maximum production capacity of 50 MT on pro rata basis. In the case of TSP and Scheduled areas, assistance will be @ 50%.
2	खाद निर्माण इकाई (Compost Making Unit)	रु० 30.00 लाख प्रति इकाई	02 इकाई (निजी क्षेत्र हेतु)	बुनियादी ढांचे पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को लागत का 40% क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। TSP and Scheduled area के लिए सहायता 50% क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। 100% of the cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy. In the case of TSP and Scheduled areas, assistance will be @ 50%.

(III) फसलोपरान्त समेकित प्रबंधन (Integrated Post Harvest Management):-

क्र०	कार्यक्रम	अधिकतम अनुमान्य लागत	भौतिक लक्ष्य(सं०)	अधिकतम सब्सिडी की राशि
1	पूर्व शीतलन इकाई (Pre-Cooling Unit)	अधिकतम रु० 5.00 लाख/ एम०टी०	02 इकाई	सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से बैक-एंडेड सहायता। नोट: घटक को केवल एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार ही क्रियान्वित किया जाना है। Back-ended assistance @ 35% in General areas. Note: the component has to be implemented in accordance to NCCD guidelines only
2	मोबाईल प्री कुलिंग इकाई Mobile pre- cooling unit	रु० 30.00 लाख/ प्रति इकाई	02 इकाई	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत का 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सहायता दी जाएगी। Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas.
3	शीत घर (स्टेजिंग) Cold Room (Staging)	अधिकतम रु० 52.00 लाख प्रति इकाई	02 इकाई	सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से बैक-एंडेड सहायता दी जाएगी। Back-ended assistance @ 35% in General areas.
4	सोलर पावर शीत घर Solar Power Cold Room	रु० 20.00 लाख/ प्रति इकाई	40 इकाई	सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से बैक-एंडेड सहायता दी जाएगी। Back-ended assistance @ 35% in General areas and @ 50% in the case of TSP and Scheduled areas.
5	कोल्ड स्टोरेज i) कोल्ड स्टोरेज टाइप-1 को CS-1 के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सिविल निर्माण शामिल है जिसमें PUF/PIR पैनल, दरवाजे और एंटे-रूम, रेफ्रिजरेशन यूनिट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, प्रशासनिक ब्लॉक, सुरक्षा/अग्नि सुरक्षा और खतरा नियंत्रण और बुनियादी मेजेनिन संरचना शामिल है (अन्य घटक विवरण के लिए कृपया NCCD दिशानिर्देश देखें) Cold Storage Type-I is defined as CS-1 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and	Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity)	10000 MT	सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सहायता। नोट: घटक को केवल एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार ही लागू किया जाना है Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas.. Note: Component has to be implemented in accordance to NCCD guidelines only

क्र०	कार्यक्रम	अधिकतम अनुमान्य लागत	भौतिक लक्ष्य(सं०)	अधिकतम सब्सिडी की राशि
	Hazard control and basic mazenine structure (For other component details please refer to NCCD guidelines)			
6	प्रशीतित परिवहन वाहन Refrigerated Transport vehicles	4 MT से अधिकतम 14 MT क्षमता के लिए 3.45 लाख की दर से प्रति MT गणना की जायेगी। (वास्तविक लागत की गणना एनसीसीडी दिशानिर्देशों 2025 में तय नियमों के अनुसार चुनी गयी मात्रा तकनीकी दिशा-निर्देश आदि के आधार पर की जायेगी। For the purpose of calculation Rs. 3.45 lakhs/ MT would be considered. The cost would be calculated on the per MT basis from 4MT upto max. of 14MT. However, actual cost would be derived based on quantity, technical Guidelines etc.chosen as per prescribed norms etc. in NCCD guidelines 2025.	01 इकाई	सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सहायता। नोट: घटक को केवल एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार ही लागू किया जाना है Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas. Note: Component has to be implemented in accordance to NCCD guidelines only.
7	प्राथमिक/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई (इस घटक को केवल MIDH योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकृत माना जाएगा) Primary/Minimal Processing Unit (This component will be considered only integrated with other components of MIDH Scheme)	रु० 35.00 लाख रुपये प्रति इकाई	20 इकाई	सामान्य क्षेत्रों में 35% एवं TSP and Scheduled क्षेत्र के लिए 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सहायता। Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and @ 50%in the case of TSP and Scheduled areas.

क्र०	कार्यक्रम	अधिकतम अनुमान्य लागत	भौतिक लक्ष्य(सं०)	अधिकतम सब्सिडी की राशि
8	पक्वचन कक्ष Ripening Chamber also termed as CS-3			
i	Non-Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3	रु० 1.00 लाख प्रति मीट्रिक टन	80 MT	सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सहायता। Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas.
ii	Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3	रु० 1.20 लाख प्रति मीट्रिक टन	80 MT	सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सहायता। Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas.

(IV) बागवानी उत्पादन हेतु विपणन ढांचे की स्थापना (Establishment of Marketing Infrastructure):-

क्र०	कार्यक्रम	अधिकतम अनुमान्य लागत	भौतिक लक्ष्य (सं०)	अधिकतम सब्सिडी की राशि
1	खुदरा बाजार/दुकानें (पर्यावरण नियंत्रित) Retail markets/ outlets (environmentally controlled)	रु० 20.00 लाख रुपये प्रति इकाई	05 इकाई	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% की दर से सहायता। Assistance @ 35% in General areas.

इच्छुक लाभुक/कृषक/स्वयं सहायता समूह/ सहकारी समिति/महिला मंडल/किसान उत्पादक समूह (FPO) परियोजना आधारित कार्य अवयवों का लाभ प्राप्त करने हेतु (1) विहित प्रपत्र में अपना आवेदन स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधि के अनुशंसा कराकर (2) विहित शपथ-पत्र के साथ (3) आवश्यक बैंक ऋण स्वीकृति पत्र एवं (4) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (संलग्न प्रपत्र के अनुसार तैयार) के साथ दिनांक 26.10.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक मुहरबंद लिफाफा में स्पीड पोस्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य बागवानी मिशन कार्यालय, तृतीय तल्ला, कृषि भवन, कांके रोड, रांची 834008 को समर्पित कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक/ महिला/ दिव्यांग/ लघु एवं सीमान्त किसान/ टाना भगत को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा।

आवेदन जमा करने मात्र से यह नहीं समझा जाय कि परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, अतः इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस संबंध में सक्षम स्तर का निर्णय अंतिम होगा। विस्तृत विज्ञापन, शर्तें एवं आवेदन की प्रति वेबसाइट horticulture.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

मुहरबंद लिफाफा के ऊपर सुस्पष्ट अक्षरों में परियोजना/कार्य अवयव का नाम, आवेदनकर्ता का नाम एवं पत्राचार का पता, कार्यरत मोबाईल नम्बर तथा वैध ईमेल आईडी0 अंकित होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वतः अस्वीकृत समझे जायेंगे। विलम्ब के लिए कोई भी कारण मान्य नहीं होगा। आमंत्रित आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

परियोजना आधारित कार्य अवयव हेतु शर्तें निम्नवत हैं:-

1. राज्य अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास करने वाले इच्छुक कृषक तथा पंजीकृत उद्यमी/सोसाईटी/सहकारी समिति/कृषक समिति आवेदन के पात्र होंगे।
2. आवेदक द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार कर सक्षम स्तर से यथा जहाँ आवश्यक हो ICAR-RCER FSRCHPR, Plandu, Ranchi, ICAR-NISA, Namkum, Ranchi, Krishi Vigyan Kendra, ICAR-IARI, Gauria Karma, Hazaribagh, ICAR-Indian Institute of Agriculture Biotechnology, Garhkhata, Ranchi, राज्य/केन्द्र सरकार के तकनीकी संस्थान से तकनीकी स्वीकृति के उपरांत संबंधित बैंक से ऋण स्वीकृति पत्र के साथ आवेदन जमा किया जायेगा। बगैर डी0पी0आर0 के आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. समान प्रकृति के कार्यों के अनुभव वाले आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार चयन किया जायेगा।
4. स्वीकृत परियोजना की सब्सिडी राशि की विमुक्ति संबंधित बैंक को ऋण राशि में समायोजन करने हेतु निम्न अभिलेख अनिवार्य है:-
 - (क) परियोजना पूर्ण होने का बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 - (ख) बैंक द्वारा परियोजना का स्वीकृति संबंधी पत्र/ Agriculture Infrastructure Fund(AIF) से लाभ लेने हेतु प्राप्त स्वीकृति पत्र।
 - (ग) बैंक द्वारा स्वीकृत शर्तों के साथ स्थल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन/ फोटोग्राफ/ GeoTagging के साथ।
 - (घ) परियोजना हेतु तिथिवार राशि विमुक्ति संबंधी विवरण।
 - (ङ.) संयुक्त निरीक्षण दल (JIT) के द्वारा परियोजना निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ, बैंक और राज्य बागवानी मिशन के नामित प्रतिनिधि के साथ।
 - (च) परियोजना के मुख्य अवयवों का सूचनापट्ट के साथ फोटोग्राफ।
 - (छ) एम0ओ0यू0 में वर्णित अन्य शर्त।
5. योग्य आवेदकों का चयन इस प्रयोजन हेतु गठित सक्षम समिति के द्वारा विधिवत स्वीकृति के उपरांत किया जायेगा।
6. चयनित लाभुकों को झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन के द्वारा नामित पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
7. विज्ञापन में वर्णित राशि अथवा शर्तों के किसी कारणवश एम0आई0डी0एच0 की मार्गदर्शिका से भिन्न होने के स्थिति में एम0आई0डी0एच0 की मार्गदर्शिका के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।

उपरोक्त योजनाओं के प्रत्येक अवयव के अनुमानित इकाई लागत भारत सरकार के MIDH मार्गदर्शिका के अनुसार सरकारी सहायता/ सब्सिडी देय है एवं शेष राशि लाभुक के द्वारा स्वयं वहन की जानी है।

ह0/

निदेशक,

झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन,
तृतीय तल्ला, कृषि भवन,
कांके रोड, रांची - 834008

(To be notarized)

विहित शपथ पत्र

मैं
पुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्रीश्रेणी
(अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग) पता
.....
प्रखण्ड जिला झारखण्ड प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैं झारखण्ड
राज्य बागवानी मिशन द्वारा क्रियान्वित योजनान्तर्गत (अवयव का नाम)
हेतु एम0आई0डी0एच0 के दर अनुमान्य सब्सिडी पर लाभ लेने के लिए इच्छुक हूँ।

मेरे मलकियत में निम्न विवरण के अनुरूप आवेदित अवयव हेतु योग्य भूमि उपलब्ध है।

अंचल	जिला:
मौजा:	प्लॉट नं0:
ख़ाता नं0:	रकबा (हेक्टेयर/डिसिमिल में):

मैं (आवेदित अवयव का नाम)
(इकाई/क्षेत्रफल) में निर्माण/स्थापना हेतु झारखण्ड राज्य बागवानी मिशन (एम0आई0डी0एच0)
के दर पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहता/ चाहती हूँ।

मेरे द्वारा उपरोक्त सहायता प्राप्त अवयव का समूचित उपयोग की सुनिश्चितता एवं इसके रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी। अनुदानित राशि का दुरुपयोग होने की दशा में मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा। मैं योजना में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। योजनान्तर्गत प्राप्त सब्सिडी के अतिरिक्त राशि मेरे द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लेखित अवयव के लिए नियमानुसार सब्सिडी हेतु स्वीकृति प्रदान की जाय।

मेरे द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं सब्सिडी अनुमान्यता की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली गई है। मेरे द्वारा आवेदित कार्य अवयव पर किसी अन्य योजना से सब्सिडी प्राप्त नहीं किया गया है। मेरे द्वारा ऊपर दी गयी सूचना पूर्ण रूप से सही है यदि कोई असत्य/मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध राशि वसूली सहित या सब्सिडी से स्वीकृत कार्य से इतर अन्य कार्य किया गया तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के लिए मैं किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

(आधार संख्या :)

(मोबाईल संख्या :)



झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(राष्ट्रीय बागवानी मिशन)

परियोजना आधारित कार्य अवयव हेतु आवेदन का प्रारूप

पासपोर्ट
साईज कलर
फोटोग्राफ

1. कार्य अवयव का नाम- प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर/डिसमिल)
2. आवेदक का नाम
3. आवेदक के पिता/पति का नाम
4. श्रेणी-(SC/ST/Women/PWD/Others)
5. आवेदक का स्थायी पता
6. पत्राचार का पता
7. मोबाईल नं० ईमेल आईडी०.....
8. आवेदित परियोजना हेतु भूमि का पूर्ण विवरण
मौजा खाता न० प्लॉट न०
हल्का रकवा (हेक्टेयर/डिसमिल)
ग्राम पंचायत
अंचल..... जिला
9. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) संलग्न है अथवा नहीं (हाँ/नहीं)..... विषय
10. आवेदक का आधार संख्या
11. आवेदक का बैंक विवरणी (छायाप्रति संलग्न)
बैंक का नाम-
आई०एफ०एस०सी० कोड-
खाताधारक का नाम-
खाता संख्या-

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्ण रूपेण सत्य है यदि कोई असत्य/मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मैं जवाबदेह होऊंगा तथा इसके लिए मेरे विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लेखित अवयव के लिए नियमानुसार सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि :-

दिनांक:-

स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य की अनुशंसा
(नाम एवं मुहर के साथ)

FORMAT FOR DETAILED PROJECT REPORT

1. Executive Summary –
2. Background
 - 2.1. Sector Background –
 - 2.2. Project Background –
 - 2.3. Promoter's Background –
3. Land /Shed Details & Logistics
 - 3.1. Nature of the Land –
 - 3.2. Requirement of Land Area –
 - 3.3. Ownership of the Land –
 - 3.4. Present Status of Land –
 - 3.5. Location of Land –
4. Procurement Strategy of Raw Material & Other Inputs
 - 4.1. Raw Material Availability –
 - 4.2. Sources of Procurement –
 - 4.3. Process of Procurement –
5. Techno-Commercial Viability Assessment
 - 5.1. Technology to be Used –
 - 5.2. Possible Source of Equipments / Machine Suppliers –
 - 5.3. Capacity & Production –
 - 5.4. Pollution Control (Please provide the details precisely) –
 - 5.4.1. Amount of Generation of Pollution / Wastage
 - 5.4.2. Mode of Waste Disposal
 - 5.4.3. Machines to be installed for adhering to pollution norms
6. Process Flow Diagram
 - 6.1. Machine Layout Plan –
 - 6.2. Process Flow Table –
7. Infrastructure Source
 - 7.1. Power –
 - 7.2. Water –
 - 7.3. Manpower –
8. Marketing Strategy
 - 8.1. Market Opportunities –
 - 8.2. Approach –
9. SWOT Analysis –
10. Financial Analysis
 - 10.1. Cost Estimates –
 - 10.2. Working Capital Requirement –
 - 10.3. Revenue Projections –
 - 10.4. Fund Flow Statement –
 - 10.5. Financial Ratios –
 - 10.6. Break Even –
 - 10.7. Term Loan –
 - 10.8. Internal Rate of Return –
11. Investment Details
 - 11.1. Equity Contribution & Source -
 - 11.2. Debt Contribution, Source & Cost of Debt -
 - 11.3. Total Fixed Capital -
 - 11.4. Net Worth of the Company -
 - 11.5. Appraisal Letter from Bank or Lending Institution -